

प्रेस विज्ञप्ति

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 292के/ छः-सानिप्र-14/15(33)2013 दिनांक 12 फरवरी 2014 के द्वारा उत्तराखण्ड में आयी अतिवृष्टि, भूस्खलन व भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के महारजिस्टार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली की गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त जनपद के लापता व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है:-

SL NO	NAME OF MISSING PERSON	Father / husband Name	Age	Sex	MISSING PERSON ADDRESS
1	GEETA	AMIT GIRI	37	F	140 AMBA COLONY, BULAND SHAHR.
2	SUDHA MITTAL	SRI GOPAL MITTAL	65	F	BRAHMANPURI. CHOWK BAZAR, BULAND SHAHR
3	SRI GOPAL MITTAL	RR AGARWAL	69	M	BRAHMANPURI, CHOWK BAZAR, BULAND SHAHR
4	RIDAM AGARWAL alias PARI	SANJEEV AGARWAL	9	F	11 KUCHA MITARSAIN, KHURJA, BULAND SHAHR
5	JITENDRA KUMAR	OM PRAKASH	33	M	BAIRA FIROJPUR PS SYANA BULAND SHAHR
6	HIMASHU AGARWAL	RAMA NAND AGARWAL	30	M	BUGRASI CHAURAHA, SYANA, BULAND SHAHR
7	NARESH CHANDRA	KAILASH CHAND	45	M	BUGRASI CHAURAHA, SYANA, BULAND SHAHR
8	JITENDRA SINGHAL	DAYANAND	40	M	BUGRASI CHAURAHA, SYANA, BULAND SHAHR
9	NARENDRA DEV	RAMGIRI	68	F	140 AMBA ENCLABE, BULAND SHAHR
10	ASHA DEVI	NARENDRA DEV	63	M	140 AMBA ENCLABE, BULAND SHAHR
11	RAMESH CHANDRA	KISHAN LAL SHARMA	65	M	140 AMBA ENCLABE, BULAND SHAHR
12	ROHIT	KALASH GIRI	18	M	140 AMBA ENCLABE, BULAND SHAHR
13	SHUBHAM GOSWAMI	AMIT KUMAR GOSWAMI	15	M	140 AMBA ENCLABE, BULAND SHAHR
14	CIRAG GOSHWAMI	AMIT DEO	18	M	140 AMBA ENCLABE, BULAND SHAHR
15	GEETA GOSWAMI	AMIT KUMAR DEV	36	F	140 AMBA ENCLABE, BULAND SHAHR
16	AMIT KUMAR DEV	NARENDRA DEV	38	M	140 AMBA ENCLABE, BULAND SHAHR
17	SHEETO ALIAS SUNIL SHARMA	RUPENDRA SHARMA	38	M	DAULATPUR KHURD, PS DIWAI
18	SHAKSHI SHARMA	SHITU @ SUNIL	10	F	DAULATPUR KHURD, PS DIWAI
19	RAM PRAKASH BALLA	PAYARA LAL SHARMA	60	M	DAULATPUR KHURD, PS DIWAI
20	RUPENDRA SHARMA	MAHAVEER PRASAD	61	M	DAULATPUR KHURD, PS DIWAI BULAND SHAHR
21	GAYATRI DEVI	RAM PRAKASH SHARMA	55	F	DAULATPUR KHURD, PS DIWAI
22	VISHAMBHAR DAYAL	PARSHADI LAL SHARMA	61	M	551 NEW SHIVPURI, KHURJA PS DIWAI
23	MITHILESH SHARMA	VISHAMBHAR DAYAL SHARMA	58	F	551 NEW SHIVPURI, KHURJA PS DIWAI
24	VIJENDRA	JAI PAL SINGH	42	M	NAGALIYA UDAY BHAN PS ARNIYA, KHURJA
25	BANTI ALIAS RAJESH KUMAR AGARWAL	JITENDRA PRASAD AGARWAL	38	M	MAIN BAZAR AURANGABAD, SAYANA BULAND SHAHR
26	BABALI SHARMA	SUNIL SHARMA	32	F	VILL DAULATPUR, PS DIWAI
27	SAROJ DEVI	RUPENDRA SHARMA	55	F	VILL DAULATPUR, PS DIWAI BULAND SHAHR
28	RAJBALA AGARWAL	RATAN PRAKASH	48	F	212 MOH BEHMANPURI ARYA SAMAJ SCHOOL KE SAMNE, BULANDSHAHR
29	SANJAY AGARWAL	RADHEY LAL	N/A	M	11 KUCHA MITARSAIN, KHURJA BULAND SHAHR
30	PARUL AGARWAL	SANJEEV AGARWAL	38	F	11 KUCHA MITARSAIN, KHURJA BULAND SHAHR
31	SHUDIR SINGH	SHIV KUMAR SINGH	N/A	M	NAGALIYA UDAYBHAN PS ARNIYA, BULANDSHAHR
32	GIRJESH SHARMA	RAM KISHAN SHARMA	52	F	424 RACE COURSE COLONY, BULANDSHAHR
33	SMT. ANGURI DEVI	LET. GOVIND PAL SINGH	43	F	CHANDPUR POST KRISHI VIDYALAYA, B.SHAHR
34	VINOD	RAM SINGH	48	M	BAROLI PS SHIKARPUR, BULANDSHAHR
35	KUNAL @ HEMANT SHARM	SUNIL KUMAR	8	M	DAULATPUR KHURD, PS DIWAI BULAND SHAHR
36	TANMAY @ PRANAV AGARWAL	SANJEEV AGARWAL	7	M	11 KUCHA MITARSAIN, PURANA BAZAR PS KHURJA, DISTT BULAND SHAHR

1- सर्वप्रथम स्थायी रूप से लापता व्यक्ति/व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज की जानी अनिवार्य होगी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे और यदि ये सभी किसी कारण से उपलब्ध न हो तो अन्य विधिक उत्तराधिकारी (NEXT OF KIN) द्वारा दर्ज होगी।

2- स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी (NEXT OF KIN) द्वारा एकशपथ पत्र इस आशय का दिया जायेगा कि जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में स्थायी रूप से लापता बताकर अनुग्रह राशि का आग्रह किया जा रहा है, वह वास्तव में स्थायी रूप से लापता हो चुका है और उसके सम्बन्ध में जो विवरण दिया गया है वह सत्य है। इस आशय का शपथ पत्र/बंध पत्र भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा उक्त अनुग्रह राशि गलत रूप से या धोखाधड़ी से प्राप्त की गयी है तो ऐसी स्थिति में वह समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा तथा उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्यवाही होगी वह सम्पन्न की जायेगी। यह शपथ पत्र नोटराइज्ड किया जायेगा और स्थायी अभिलेखों में संरक्षित किया जायेगा। शपथ पत्र/बंध पत्र का प्रारूप कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

3- स्थायी रूप से लापता व्यक्ति का चिन्हीकरण निम्नलिखित अभिलेखों से किया जायेगा। जिनमें राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, मतदाता सूची/मतदाता पहचान पत्र, यदि घर का मुखिया है तो गृह कर/विद्युत कर/जलकर की रसीद, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, विद्यालयी अभिलेख है।

4- स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई भी आपत्ति प्रस्तुत करनी है, या कोई व्यक्ति वापस आ गये या यात्रा पर नहीं गये है की सूचना, इस विज्ञप्ति के 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस अवधि के बाद किसी भी दावे अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्तुत आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की अंतिम सूची शासन को प्रेषित कर दी जायेगी।

5- उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट www.bulandshahr.nic.in व नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।
दिनांक 26 फरवरी, 2014

आर०के०सिंह
अपर जिलाधिकारी वि०/रा०
बुलन्दशहर।

निधि केसरवानी
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर।

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।


पृष्ठांकन संख्या 2267/मु०रा०ले०-दैवी आपदा

दिनांक 26 फरवरी, 2014

1- प्रतिलिपि विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति को अग्रिम अंक में कम से कम स्थान में शासकीय दर पर प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट www.bulandshahr.nic.in पर डाउन लोड कराने का कष्ट करें।

3- नाजिर सदर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।


अपर जिलाधिकारी वि०/रा०
बुलन्दशहर।